न्यायालय श्रीमान श्रीमान राजस्व मंडल, भोपाल म.प्र.

निगरानी क्र.

पक्ष खामरा पुत्र श्री एन.डी.खामरा
आयु लगभग 50 वर्ष निवासी– एम.आई.जी.
–17, बी–सेक्टर, इन्द्रपुरी, भोपाल म.प्र. ----- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. अंजीरा ठाकुर पत्नि एल.आर.ठाकुर
आयु वयस्क निवासी– म.न–08,
पंचशील नगर, भोपाल म.प्र.

2. गणेश सिंह बघेल पुत्र श्री राजमणि सिंह
बघेल आयु वयस्क निवासी– एफ–1,
पुलिस कॉलोनी, गोविन्दपुरा,
भोपाल म.प्र.

3. पी.के.ठाकुर पुत्र श्री लक्ष्मण राव ठाकुर
आयु वयस्क निवासी– ई–101/21,
शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र.

4. श्रीमती संगीता सलूजा पत्नि श्री हरजीत सलूजा
आयु वयस्क निवासी– बिजली नगर कॉलोनी
भोपाल म.प्र. --------- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण [redacted] अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी एम.पी.नगर, वृत्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अपील/2016–17 (पक्ष खामरा विरूद्ध अंजीरा ठाकुर आदि) में पारित आदेश दिनांक 27/01/2017 से दुखी व निराश होकर निम्नांकित ठोस तथ्यो व आधारो पर वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:–

निरन्तर......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

[illegible] **क्रमांक निगरानी** 779-[illegible]**आर/17** जिला **भोपाल**

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
[illegible]-3-2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-1-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र मुख्यतः इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि सुविधा का संतुलन अनावेदकगण के पक्ष में है, क्योंकि रास्ता खोले जाने से आवेदक को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी, जो कि प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही है, अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	